प्रेस नोट

<u>सैकेण्डरी वार्षिक परीक्षा मार्च–2026 के प्रमाण–पत्र/अनुत्तीर्ण(Essential Repeat) /कम्पार्टमैंट कार्ड (Eligible for Improvement of Performance) एवं माईग्रेशन प्रमाण–पत्र दिनांक 23.07.2026 व 24.07.2026 को वितरित किए जाएंगें।</u>

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा फरवरी/मार्च–2026 में आयोजित की गई सैकेण्डरी वार्षिक परीक्षा मार्च–2026 के गुरूकुल विद्यापीठों/विद्यालयी परीक्षार्थियों के प्रमाण–पत्र/अनुतीर्ण कार्ड (E.R.)/कम्पार्टमैंट (E.I.O.P) कार्ड एवं माईग्रेशन प्रमाण–पत्र (भिवानी के अतिरिक्त) सम्बन्धित जिला के जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर दिनांक 23.07.2026 को भेजे जाएंगें।

प्रदेश के सभी सैकेण्डरी विद्यालय/गुरूकुल/विद्यापीठ के मुखियाओं को इस बारे सूचित किया जाता है कि वे अपने विद्यालय के परीक्षार्थियों के प्रमाण–पत्र/अनुतीर्ण कार्ड (E.R.)/कम्पार्टमैंट (E.I.O.P) कार्ड एवं माईग्रेशन प्रमाण–पत्र दिनांक 23.07.2026 को प्रातः 11:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक तथा दिनांक 24.07.2026 को प्रातः 09:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक प्राप्त कर सकते है। जिला भिवानी के सैकेण्डरी के प्रमाण–पत्र/अनुतीर्ण कार्ड (E.R.)/कम्पार्टमैंट (E.I.O.P) कार्ड एवं माईग्रेशन प्रमाण–पत्र बोर्ड मुख्यालय के कमरा नं0 44 में वितरित किए जाएंगें।

सम्बन्धित विद्यालय/संस्था मुखिया यदि स्वयं प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं कर सकते है, तो अपने विद्यालय/संस्था के किसी भी अध्यापक/प्राध्यापक को इस कार्य के लिए प्राधिकृत करें। जिस अध्यापक/प्राध्यापक को मुखिया द्वारा प्राधिकृत किया जाता है, वे अपने साथ प्राधिकरण पत्र (Authority Letter) अवश्य लेकर आए अन्यथा उनको प्रमाण–पत्र नहीं दिये जायेंगे। प्राधिकरण पत्र न होने के कारण प्रमाण–पत्र न मिलने की जिम्मेवारी सम्बन्धित विद्यालय/संस्था की होगी। इसके अतिरिक्त स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के प्रमाण–पत्र पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजे जाएंगें।

यदि कोई विद्यालय/संस्था किन्हीं कारणों से निर्धारित तिथियों में जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में प्रमाण–पत्र दस्ती प्राप्त नहीं कर पाते है, तो उस अवस्था में दिनांक 24.07.2026 के उपरान्त विद्यालय/संस्था मुखिया अपनी जिम्मेवारी पर प्रमाण–पत्र बोर्ड मुख्यालय से प्राप्त कर सकते है, जिसके लिए उन्हें कोई टी0ए./डी0ए. देय नहीं होगा।

सचिव